भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
24.07.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 294 का उत्तर

पैदल पार पुल (एफओबी), सड़क उपरि पुल (आरओबी) और अधोगामी पुल का निर्माण

294. डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे द्वारा पश्चिम रेल और मध्य रेल, विशेष रूप से पालघर जिले में बनाए जाने वाले प्रस्तावित पैदल पार पुल (एफओबी), सड़क उपरि पुल (आरओबी) और अधोगामी पुल की संख्या का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पालघर जिले में सभी प्रस्तावित पैदल पार पुल, सड़क उपरि पुल और अधोगामी पुल का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित या सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

s.k

पैदल पार पुल (एफओबी), सड़क उपरि पुल (आरओबी) और अधोगामी पुल का निर्माण के संबंध में दिनांक 24.07.2024 को लोक सभा में डॉ. हेमंत विष्णु सवरा के अतारांकित प्रश्न सं. 294 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ग): 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, मध्य रेलवे में 223 अदद उपरि/निचले सड़क पुलों के निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं और पश्चिम रेलवे में 386 अदद उपरि/निचले सड़क पुलों के निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें पालघर जिले में लगभग 323 करोड़ रु. की कुल लागत पर रेलफाटकों के स्थान पर 10 अदद उपरि/निचले सड़क पुल शामिल हैं, जो निम्नानुसार हैं :-

क्र.सं.	आरओबी/आरयूबी की स्थिति
1	दहानु रोड - घोलवड स्टेशनों के बीच रेलफाटक सं. 57
2	वैतरणा - सफाले स्टेशनों के बीच रेलफाटक सं. 42
3	केलवे रोड - पालघर स्टेशनों के बीच रेलफाटक सं. 46ए
4	पालघर - बोईसर स्टेशनों के बीच रेलफाटक सं. 52
5	बोईसर - वानगांव स्टेशनों के बीच रेलफाटक सं. 55
6	विरार - वैतरणा स्टेशनों के बीच रेलफाटक सं. 41
7	पालघर - बोईसर स्टेशनों के बीच रेलफाटक सं. 49
8	केलवे रोड - पालघर स्टेशनों के बीच रेलफाटक सं. 45
9	सफाले - केलवे स्टेशनों के बीच रेलफाटक सं. 44
10	दहानु रोड - घोलवड स्टेशनों के बीच रेलफाटक सं. 58

भारतीय रेल के रेलवे स्टेशनों पर एफओबी सहित यात्री सुविधाओं का प्रावधान एक सतत और निरंतर प्रक्रिया है और इस संबंध में निर्माण कार्य आवश्यकता, यात्री यातायात की मात्रा और धन की उपलब्धता के अध्याधीन परस्पर वरियता के आधार पर किए जाते हैं और निर्माण कार्यों को स्वीकृति देते और निष्पादित करते समय निम्न श्रेणी के स्टेशनों की तुलना में उच्च श्रेणी के स्टेशनों को वरियता दी जाती है। पालघर जिले के अंतर्गत नायगांव रेलवे स्टेशन पर एक एफओबी निर्माण हेतु प्रस्तावित है।

आरओबी/आरयूबी/एफओबी निर्माण कार्यों का पूरा होना और कमीशन होना रेल फाटकों को बंद करने हेतु सहमति प्रदान करने में राज्य सरकारों का सहयोग, कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे एलसी को बंद करने, एप्रोच अलाइनमेंट निर्धारित करना, सामान्य आरेखण

व्यवस्था का अनुमादेन, भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण हटाने, बाधक जनोपयोगी सेवाओं को हटाना, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक क्लीयरेंस, परियोजना/कार्य स्थलों के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु स्थिति के कारण विशेष परियोजना/स्थल के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजनाओं/निर्माण कार्यों के समापन समय को प्रभावित करते हैं। अतः, आरओबी/आरयूबी/एफओबी निर्माण कार्यों के पूरा होने की निश्चित समय सीमा सुनिश्चित करना संभव नहीं है।

*****

s.k